

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़

Ph.No. :- (O) 07774-240544, (R) 240019, (F) 240682 E-Mail :- cfsurguja@rediffmail.com

क्र०/मा.चि./न.क्र.-50/2017/96
प्रति,

अम्बिकापुर, दिनांक 22/01/2017

✓ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(भू-प्रबंध)
छत्तीसगढ़ रायपुर

- विषय :- Diversion of 19.907 ha. of forest land in favour of Executive Engineer, CSPTCL for laying and Construction of LILO of 132 KV DCDS Bishrampur-pratappur Transmission line in Surajpur District in the state of Chhattisgarh- Regading.
- पंजीयन क्रमांक- FP/CG/TRANS/17263/2015
- संदर्भ :- (1) भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर का पत्र क्र./NO. FC-II/CH-52/2016-NGP/1223 दिनांक 05.01.2017
(2) वनमण्डलाधिकारी सूरजपुर वनमण्डल का पत्र क्रमांक/मा.चि./154 दिनांक 20.01.2017

विषयांकित वनभूमि व्यपवर्तन प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर के संदर्भित पत्र-01, द्वारा 03 बिन्दुओं पर वांछित जानकारी, जो वनमण्डलाधिकारी सूरजपुर वनमण्डल के संदर्भित पत्र-02 के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित है, के अनुसार जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	आपत्ति विवरण	आपत्ति का निराकरण
(i)	Part-III of the Form- A does not bear the name of the signing authority. Hard copy of the Part-I submitted along with the proposal has not been signed by the User Agency.	फार्म-A का भाग-III की कार्यवाही नाम सहित पूर्ण कर संलग्न है। आवेदक संस्थान द्वारा Part-I की जानकारी संलग्न किया गया है। संलग्नक क्रमांक-1
(ii)	Detail of area available for Plantation of dwarf Species preferably medicinal in the clearance available under the conductor and scheme of Plantation has not been provided in the proposal.	कन्डक्टर के नीचे बौने औषधि प्रजाति के वृक्षारोपण योजना संलग्न किया गया है। संलग्नक क्रमांक-2
(iii)	Examination of the Compliance of Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 revealed that as per the proceedings of the sub Divisional Level Committee, 06 right holders have been identified in the Revenue Forest Land. Action taken/proposed to ben taken towards the settlement of rights may be intimated by the state Government. Further, documentray evidences in support of Settlement of rights viz. record of meeting of the Gram Sabha, Sub-Divisional Level Committee have not been uploaded on the website of the MoEF&CC. Original copy of the Certificate issued by the District Collector concerned may be submitted by the State Government.	छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग रायपुर के द्वारा जारी संशोधित आदेश क्रमांक ए-7-7/सति-1/2014 दिनांक 01.06.2016 के अनुरूप लाईन के नीचे प्रभावित कृषकों को राजस्व विभाग के द्वारा निर्धारित मुआवजा का मुगतान आवेदक संस्थान द्वारा किया जावेगा। कलेक्टर सूरजपुर के पत्र क्रमांक/591 दिनांक 15.11.2016 के द्वारा जारी FRA प्रमाण पत्र की मूल प्रति संलग्न किया गया है। संलग्नक क्रमांक-3

वनमण्डलाधिकारी सूरजपुर वनमण्डल के संदर्भित पत्र-02 मय सहपत्र सहित संलग्न कर उपरोक्तानुसार उपरोक्त वनभूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव में वांछित जानकारी अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है।
संलग्न :- संदर्भित पत्र-02 मय सहपत्र।

पृ0क्र0/मा.चि./न.क्र.-50/2017/ 97

- प्रतिलिपि :- (1) वनमण्डलाधिकारी सूरजपुर वनमण्डल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
(2) कार्यपालन अभियंता, अति उच्च दाब निर्माण संभाग, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित कोरबा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक

~~सर~~ सूरजपुर वनवृत्त, अम्बिकापुर

अम्बिकापुर, दिनांक 22/01/2017

मुख्य वन संरक्षक

~~सर~~ सूरजपुर वनवृत्त, अम्बिकापुर

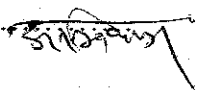
भाग - III
(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

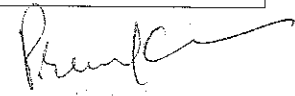
पंजीयन क्रमांक-FP/CG/TRANS/17263/2015

Area- 19.907 ha.

1	स्थल जहां कि वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रक्षेपों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	"नहीं"
2	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग-II में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत हैं।	"हां"
3	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिश।	"जहाँ से आग्रह की जा रही है।"

तारीख ... 22.11.16

स्थान ... 



(Pran Kumar T.F.S.)
मुख्य वन संरक्षक,
सरगुजा वनवृत्त अम्बिकापुर

छठ गठ शासन



वन विभाग

परियोजना प्रतिवेदन

सूरजपुर जिले के सूरजपुर वनमंडल अंतर्गत लिलो आफ 132 के व्ही डी सी डी एस विश्रामपुर — प्रतापपुर
पारिषण लाईन के लोकेशन नंबर 31/0 से टेपिंग कर 132/33 के व्ही उपकेन्द्र वाड्डफनगर तक पारिषण लाईन के
नीचे 3 मीटर बेल्ड में औषधीय वृक्षारोपण
(औषधीय वृक्षारोपण)

प्रस्तावित रकबा - 2.212 हेक्टेयर

कक्ष क्रमांक - पी-110, पी-111, पी-112, पी-113, पी-120, आर-132 एवं पी-131

राजस्व वन भूमि -

214, 212, 50, 83, 82, 73, 1411, 1426, 1428, 1430, 1603, 263, 255, 244, 1824, 1850, 1888, 104, 106, 117, 161, 166, 181, 180, 1
79, 178, 88, 94, 132, 133, 145, 147, 177, 178, 192, 236, 240, 243, 303, 987, 988, 990, 989, 996, 994, 995, 1000, 1017, 1021, 1
022, 1028, 1038, 1031, 147, 188, 244, 245, 246, 247, 260, 1414, 1415, 1416, 1417, 1419, 1423, 1480, 1487, 1488, 1500, 152
6, 1747, 1737, 561, 490, 249, 248/1, 186, 64, 61, 57, 168, 199, 284, 286, 308

वनपरिक्षेत्र : प्रतापपुर

सूरजपुर वनमंडल, सूरजपुर (छठ गठ)

परियोजना प्रतिवेदन

सूरजपुर जिले के सूरजपुर वनमंडल अंतर्गत लिलो आफ 132 के व्ही डी सी डी एस विश्रामपुर — प्रतापपुर पारंपरण लाईन के
केशन नंबर 31/0 से टेपिंग कर 132/33 के व्ही उपकेन्द्र वाइफनगर तक पारंपरण लाईन के नीचे 3 मीटर बेल्ट में औषधीय
वृक्षारोपण

रोपित की जाने वाली प्रजाति— पाताल कुम्हडा, बाँय विरिंग, काली मुसली, सफेद मुसली, सतावर, अरवगंधा, केऊ
कन्द, बच्च, बिदारी कन्द, गिलोय, केवाच, नागरमोथा, अनन्तमूल, घी कुवार, सर्पगन्धा।

कक्ष क्रमांक— पी-110, पी-111, पी-112, पी-113, पी-120, पी-132 एवं पी-131

परिक्षेत्र - प्रतापपुर

प्रस्तावित रकबा -- 2.212 हेक्टेयर

प्रचलित मजदूरी दर- 239.00 प्रति मा.दि.

प्रथम वर्ष 2017-18

क्र.	कार्य विवरण	मात्रा	दर	राशि
1	रोपण स्थल का सर्वेक्षण एवं सीमांकन कार्य, उपचार मानचित्रण एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना	2.212 हे०	2 मा.दि./हे०	1057.33
2	क्षेत्र की सफाई एवं सी.बी.ओ. कार्य	2.212 हे०	5 मा.दि./हे०	2643.34
3	स्टेकिंग कार्य 1x1 मी. अंतराल में खुंटी बनाई ढुलाई गड़ाई सहित	22120 खुंटी	3.50 मा.दि. प्रति हजार	18503.38
4	फेंसिंग :-			
I	सीमेंट पोस्ट क्रय करना 2.0 मी. लम्बाई 1x1 मी. के अंतराल पर प्रत्येक 10 पर 1 स्ट्रेनर पोस्ट	77 नग	195.00 प्रति नग	15015.00
II	फेंसिंग हेतु गड्ढा खुदाई कार्य 30x30x40 cm	77 नग	8.00 प्रति गड्ढा	61600.00
III	कांटातार क्रय करना	143 कि.ग्रा.	70.00 प्रति कि.ग्रा.	10010.00
IV	सीमेंट पोल फिक्सिंग स्ट्रेनर पोस्ट एवं सामग्री सहित	77 नग	85.00 प्रति पोल	6545.00
V	कांटातार समत लाईनों में यू नेल्स/बाईंडिंग वायर की सहायता से खींचकर लगाना तथा कंटिले झाड़ी से आवश्यकतानुसार जाली बनाना	143 रनिंग मीटर	15.00 प्रति रनिंग मीटर	2145.00
5	पौधा गड्ढा खुदाई कार्य 30x30x30 cm.	22120 गड्ढे	3 मा.दि./लै०	158600.40
6	कम्पोस्ट /गोबर खाद परिवहन सहित	55 घ.मी.	880.00/ घ.मी.	48400.00
7	गड्ढों में मिट्टी एवं खाद का मिश्रण भरना	22120 गड्ढे	2.00 प्रति गड्ढा	44240.00
8	रोपणी व्यय:- 10 प्रतिशत कैजुअल्टी सहित	24420 पौधा	10.00 प्रति पौधा	244200.00
9	सिंचाई हेतु टयूबवेल खोदाई एवं पम्प फिटिंग	एल. एस.	1.50 लाख	150000.00
10	पाईप लाईन फिटिंग हेतु सामग्री क्रय एवं मजदूरी	एल.एस.	1.00 लाख	100000.00
11	अन्य आकस्मिक व्यय: बोर्ड लगाना, गेट लगाना रस्सी, चूना क्रय इत्यादि	2.212 हे०	L.S.	42524.00
प्रति हे० व्यय-409350.56				योग:-
				905483.45

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र: प्रतापपुर

उपवनमंडलाधिकारी
उपवनमंडल प्रतापपुर

वनमंडलाधिकारी
सूरजपुर वनमंडल
सूरजपुर (खोगा)

द्वितीय वर्ष 2018-19

क्र.	कार्य विवरण	मात्रा	दर	राशि
1	रोपणी में पौधों का रखरखाव	24332 पौधा	5.00 प्रति पौधा	121660.00
2	आगामी वर्ष के लिए 10 प्रतिशत प्रतिस्थापना हेतु पौधा तैयारी	2212 पौधा	10.00 प्रति पौधा	22120.00
3	परिवहन एवं दोनों पौधों को प्रत्येक गड्ढों के पास ले जाकर रखना	24332 पौधा	3.00 प्रति पौधा	72996.00
4	पौधा रोपण कार्य:-	22120 पौधा	1.65 मा.दि.प्रति सै0	87230.22
5	रासायनिक खाद क्रय:-			
	(अ) फॉरेट 10 ग्राम प्रति पौधा (रोपण के समय)	200 कि.ग्रा.	105.00 प्रति कि.ग्रा.	21000.00
	(ब) सुपरफास्फेट 50 ग्राम/पौधा (रोपण के समय)	1000 कि.ग्रा.	9.50 प्रति कि.ग्रा.	9500.00
	(स) यूरिया 50 ग्राम प्रति पौधा (निंदाई के समय)	1000 कि.ग्रा.	7.65 प्रति कि.ग्रा.	7650.00
6	Monochrotophas/ malathion क्रय	L.S.	1000.00 प्रति हे0	2212.00
7	1. प्रथम निंदाई कार्य 01 मी. व्यास में	22120 पौधा	1.20 मा.दि.प्रति सै0	63440.16
	2. द्वितीय निंदाई कार्य 01 मी. चौड़ी पट्टी में	22120 पौधा	2.00 मा.दि.प्रति सै0	105733.60
	3. तृतीय निंदाई कार्य 01 मी. व्यास में	22120 पौधा	1.20 मा.दि.प्रति सै0	63440.16
8	सुरक्षा कार्य 9 माह 01 श्रमिक	2.212 हे0	6206.00/Month	74472.00
9	सिंचाई कार्य 6 माह	2.212 हे0	1500/Ha./Month	19908.00
10	अन्य व्यय (अग्नि सुरक्षा, फेंसिंग मरम्मत कार्य)	L.S.	L.S.	22188.00
प्रति हे0 व्यय- 3,13,539.84			योग:-	693550.14

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र: प्रतापपुर

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल प्रतापपुर

वनमण्डलाधिकारी
सूरजपुर वनमण्डल
सूरजपुर (छ0ग0)

तृतीय वर्ष (2019-20)

क्र.	कार्य विवरण	मात्रा	दर	राशि
1	रोपणी में पौधों का रखरखाव	22120 पौधा	3.55 प्रति पौधा	78526.00
2	निंदाई कार्य:-			
	प्रथम निंदाई कार्य:- 01 मी. व्यास में	22120 पौधा	1.20 मा.दि.प्रति सै0	63440.16
3	यूरिया एवं जैविक खाद/कीटनाशक दवा क्रय	22120 पौधा	1.00 प्रति पौधा	22120.00
4	सुरक्षा 12 माह 01 श्रमिक	2.212 हे0	6206.00/Month	74472.00
5	रोपित पौधों की सिंचाई 06 माह	2.212 हे0	1500/Ha./Month	19908.00
6	अन्य आकस्मिक व्यय (अग्नि सुरक्षा, फेंसिंग मरम्मत आदि)	L.S.	L.S.	29168.00
प्रति हे0 व्यय-1,30,033.50			योग:-	287634.16

चतुर्थ वर्ष 2020-21

क्र.	कार्य विवरण	मात्रा	दर	राशि
1	प्रथम निंदाई/गुड़ाई/कीटनाशक एवं जैविक खाद डलाई	22120 पौधा	1.20 मा.दि.प्रति सै0	63440.16
2	सुरक्षा 12 माह	2.212 हे0	6206.00/Month	74472.00
3	रोपित पौधों की सिंचाई 06 माह	2.212 हे0	1500/Ha./Month	19908.00
4	अन्य आकस्मिक व्यय- अग्नि सुरक्षा, फेंसिंग मरम्मत इत्यादि	L.S.	L.S.	10168.00
प्रति हे0 व्यय-75944.00			योग:-	167988.16

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र: प्रतापपुर

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल प्रतापपुर

वनमण्डलाधिकारी
सूरजपुर वनमण्डल
सूरजपुर (छ0ग0)

पंचम वर्ष 2021-22

क्र.	कार्य विवरण	मात्रा	दर	राशि
1	सुरक्षा 12 माह	2.212 हे०	6206.00/Month	74472.00
2	अन्य आकस्मिक व्यय- अग्नि सुरक्षा, फेंसिंग मरम्मत इत्यादि	L.S.	L.S.	25528.00
प्रति हे० व्यय- 45207.96			योग:-	1,00,000.00

व्यय का गौशवारा

क्र.	विवरण	रकबा	व्यय प्रति हे०	राशि
1	प्रथम वर्ष कार्य 2017-18	2.212 हे०	409350.56	905483.45
2	द्वितीय वर्ष कार्य 2018-19	2.212 हे०	313539.84	693550.14
3	तृतीय वर्ष कार्य 2019-20	2.212 हे०	130033.50	287634.16
4	चतुर्थ वर्ष कार्य 2020-21	2.212 हे०	75944.00	167988.16
5	पंचम वर्ष कार्य 2021-22	2.212 हे०	45207.96	100000.00
Per Ha. Cost - 974075.86		Grand Total-	974075.86	2154655.91

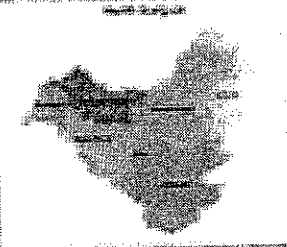
वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र: प्रतापपुर

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल प्रतापपुर

वनमण्डलाधिकारी
सूरजपुर वनमण्डल
सूरजपुर (छ०ग०)



1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12
13	14	15
16	17	18
19	20	21
22	23	24
25	26	27
28	29	30
31	32	33
34	35	36
37	38	39
40	41	42
43	44	45
46	47	48
49	50	51
52	53	54
55	56	57
58	59	60
61	62	63
64	65	66
67	68	69
70	71	72
73	74	75
76	77	78
79	80	81
82	83	84
85	86	87
88	89	90
91	92	93
94	95	96
97	98	99
100	101	102
103	104	105
106	107	108
109	110	111
112	113	114
115	116	117
118	119	120
121	122	123
124	125	126
127	128	129
130	131	132
133	134	135
136	137	138
139	140	141
142	143	144
145	146	147
148	149	150
151	152	153
154	155	156
157	158	159
160	161	162
163	164	165
166	167	168
169	170	171
172	173	174
175	176	177
178	179	180
181	182	183
184	185	186
187	188	189
190	191	192
193	194	195
196	197	198
199	200	201
202	203	204
205	206	207
208	209	210
211	212	213
214	215	216
217	218	219
220	221	222
223	224	225
226	227	228
229	230	231
232	233	234
235	236	237
238	239	240
241	242	243
244	245	246
247	248	249
250	251	252
253	254	255
256	257	258
259	260	261
262	263	264
265	266	267
268	269	270
271	272	273
274	275	276
277	278	279
280	281	282
283	284	285
286	287	288
289	290	291
292	293	294
295	296	297
298	299	300
301	302	303
304	305	306
307	308	309
310	311	312
313	314	315
316	317	318
319	320	321
322	323	324
325	326	327
328	329	330
331	332	333
334	335	336
337	338	339
340	341	342
343	344	345
346	347	348
349	350	351
352	353	354
355	356	357
358	359	360
361	362	363
364	365	366
367	368	369
370	37	



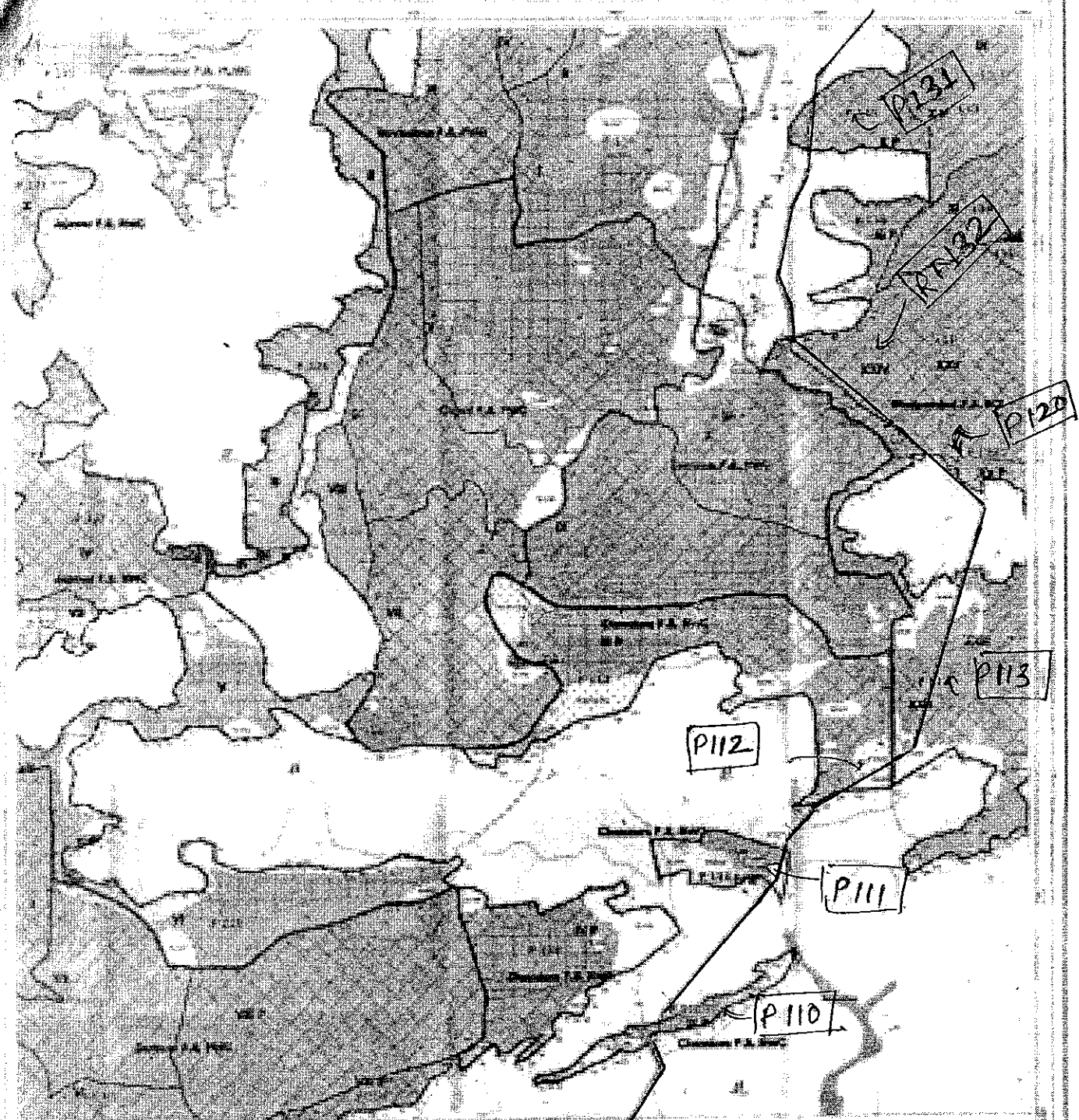
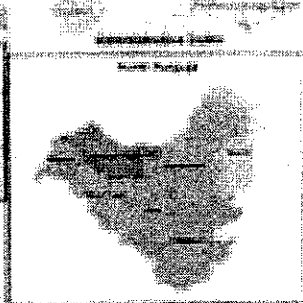
1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.



China's Impact

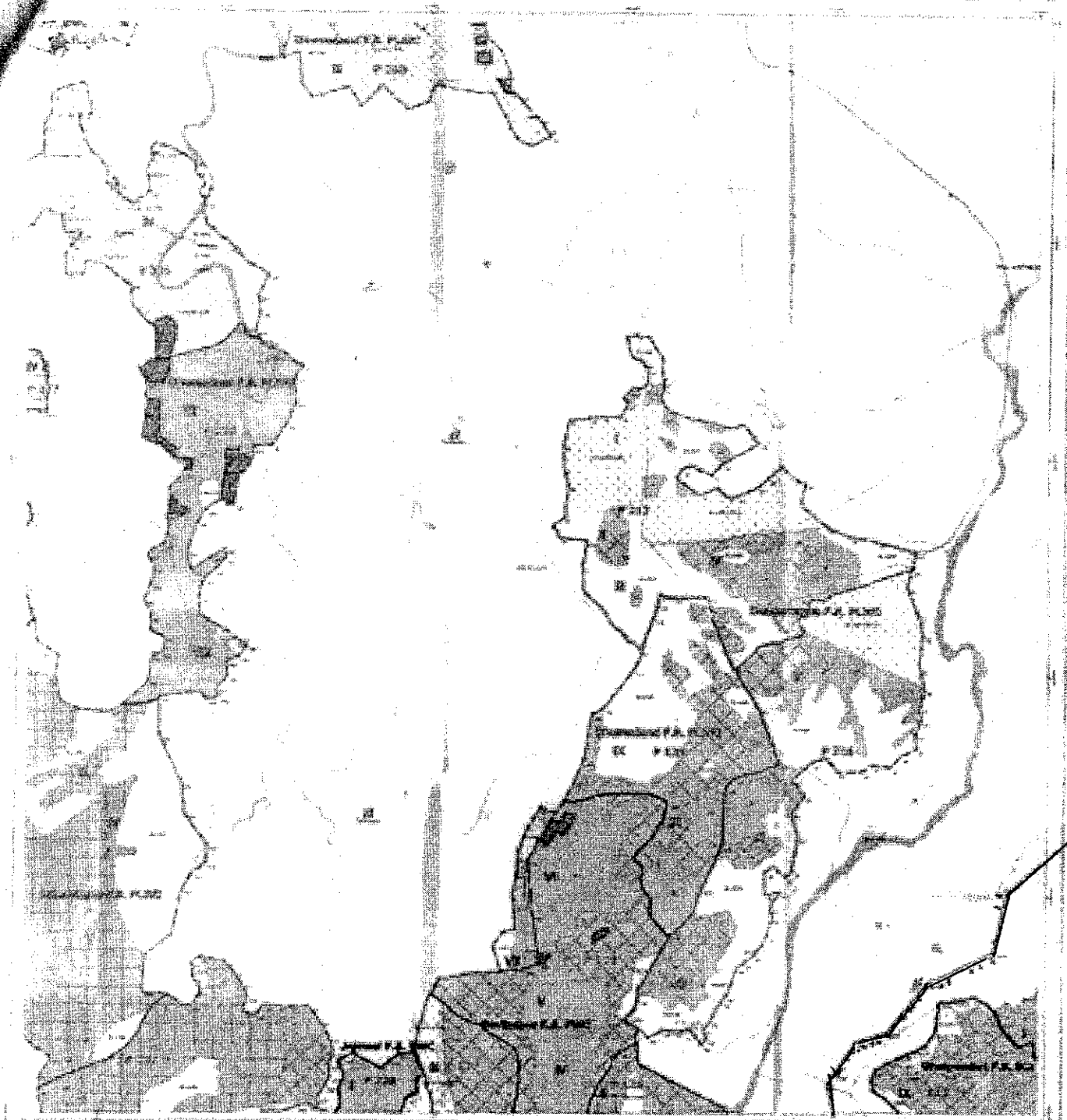
Forest Stock Map

North Suringga District

[illegible][illegible]

Chhattisgarh
 STATE OF THE MAHARAJA
Forest Stock Map
North Surguja Division

Sheet No. 64 M 5275



Legend

1. Forest Range

2. Forest Range

3. Forest Range

4. Forest Range

5. Forest Range

6. Forest Range

7. Forest Range

8. Forest Range

9. Forest Range

10. Forest Range

11. Forest Range

12. Forest Range

13. Forest Range

14. Forest Range

15. Forest Range

16. Forest Range

17. Forest Range

18. Forest Range

19. Forest Range

20. Forest Range

21. Forest Range

22. Forest Range

23. Forest Range

24. Forest Range

25. Forest Range

26. Forest Range

27. Forest Range

28. Forest Range

29. Forest Range

30. Forest Range

31. Forest Range

32. Forest Range

33. Forest Range

34. Forest Range

35. Forest Range

36. Forest Range

37. Forest Range

38. Forest Range

39. Forest Range

40. Forest Range

41. Forest Range

42. Forest Range

43. Forest Range

44. Forest Range

45. Forest Range

46. Forest Range

47. Forest Range

48. Forest Range

49. Forest Range

50. Forest Range

51. Forest Range

52. Forest Range

53. Forest Range

54. Forest Range

55. Forest Range

56. Forest Range

57. Forest Range

58. Forest Range

59. Forest Range

60. Forest Range

61. Forest Range

62. Forest Range

63. Forest Range

64. Forest Range

65. Forest Range

66. Forest Range

67. Forest Range

68. Forest Range

69. Forest Range

70. Forest Range

71. Forest Range

72. Forest Range

73. Forest Range

74. Forest Range

75. Forest Range

76. Forest Range

77. Forest Range

78. Forest Range

79. Forest Range

80. Forest Range

81. Forest Range

82. Forest Range

83. Forest Range

84. Forest Range

85. Forest Range

86. Forest Range

87. Forest Range

88. Forest Range

89. Forest Range

90. Forest Range

91. Forest Range

92. Forest Range

93. Forest Range

94. Forest Range

95. Forest Range

96. Forest Range

97. Forest Range

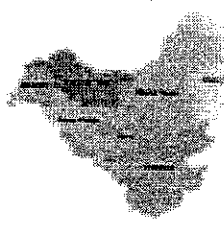
98. Forest Range

99. Forest Range

100. Forest Range

Administrative Index

North Surguja



Forest Stock Table

Forest Range	Area (Sq. Km.)	Forest Stock (Sq. Km.)	Percentage (%)
1	1.0	0.5	50.0
2	1.0	0.5	50.0
3	1.0	0.5	50.0
4	1.0	0.5	50.0
5	1.0	0.5	50.0
6	1.0	0.5	50.0
7	1.0	0.5	50.0
8	1.0	0.5	50.0
9	1.0	0.5	50.0
10	1.0	0.5	50.0
11	1.0	0.5	50.0
12	1.0	0.5	50.0
13	1.0	0.5	50.0
14	1.0	0.5	50.0
15	1.0	0.5	50.0
16	1.0	0.5	50.0
17	1.0	0.5	50.0
18	1.0	0.5	50.0
19	1.0	0.5	50.0
20	1.0	0.5	50.0
21	1.0	0.5	50.0
22	1.0	0.5	50.0
23	1.0	0.5	50.0
24	1.0	0.5	50.0
25	1.0	0.5	50.0
26	1.0	0.5	50.0
27	1.0	0.5	50.0
28	1.0	0.5	50.0
29	1.0	0.5	50.0
30	1.0	0.5	50.0
31	1.0	0.5	50.0
32	1.0	0.5	50.0
33	1.0	0.5	50.0
34	1.0	0.5	50.0
35	1.0	0.5	50.0
36	1.0	0.5	50.0
37	1.0	0.5	50.0
38	1.0	0.5	50.0
39	1.0	0.5	50.0
40	1.0	0.5	50.0
41	1.0	0.5	50.0
42	1.0	0.5	50.0
43	1.0	0.5	50.0
44	1.0	0.5	50.0
45	1.0	0.5	50.0
46	1.0	0.5	50.0
47	1.0	0.5	50.0
48	1.0	0.5	50.0
49	1.0	0.5	50.0
50	1.0	0.5	50.0
51	1.0	0.5	50.0
52	1.0	0.5	50.0
53	1.0	0.5	50.0
54	1.0	0.5	50.0
55	1.0	0.5	50.0
56	1.0	0.5	50.0
57	1.0	0.5	50.0
58	1.0	0.5	50.0
59	1.0	0.5	50.0
60	1.0	0.5	50.0
61	1.0	0.5	50.0
62	1.0	0.5	50.0
63	1.0	0.5	50.0
64	1.0	0.5	50.0
65	1.0	0.5	50.0
66	1.0	0.5	50.0
67	1.0	0.5	50.0
68	1.0	0.5	50.0
69	1.0	0.5	50.0
70	1.0	0.5	50.0
71	1.0	0.5	50.0
72	1.0	0.5	50.0
73	1.0	0.5	50.0
74	1.0	0.5	50.0
75	1.0	0.5	50.0
76	1.0	0.5	50.0
77	1.0	0.5	50.0
78	1.0	0.5	50.0
79	1.0	0.5	50.0
80	1.0	0.5	50.0
81	1.0	0.5	50.0
82	1.0	0.5	50.0
83	1.0	0.5	50.0
84	1.0	0.5	50.0
85	1.0	0.5	50.0
86	1.0	0.5	50.0
87	1.0	0.5	50.0
88	1.0	0.5	50.0
89	1.0	0.5	50.0
90	1.0	0.5	50.0
91	1.0	0.5	50.0
92	1.0	0.5	50.0
93	1.0	0.5	50.0
94	1.0	0.5	50.0
95	1.0	0.5	50.0
96	1.0	0.5	50.0
97	1.0	0.5	50.0
98	1.0	0.5	50.0
99	1.0	0.5	50.0
100	1.0	0.5	50.0

Figure 1. The effect of the concentration of the inhibitor on the rate of polymerization of α -methylstyrene in the presence of SnCl_4 at 25°C .

132/33
KV S/S
wadr of leger

[illegible]

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर

// संशोधित आदेश //

नया रायपुर दिनांक 01 / 06 / 2016

क0/एफ-7-7/सात-1/2014- विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक

20.2.2015 के द्वारा राज्य में 132 के.व्ही. या उससे अधिक क्षमता के विद्युत पारेषण लाइनों की स्थापना हेतु लगाये जाने वाले टावर लाइनों से प्रभावित भूमि तथा विद्युत लाइनों के नीचे स्थित भूमि के लिए क्षतिपूर्ति के भुगतान करने का प्रावधान किया गया है तथा क्षतिपूर्ति की दर निर्धारित की गई है।

2. भारत सरकार, उर्जा मंत्रालय के पत्र क्रमांक 3/7/2015-ट्रांस, दिनांक 15.10.2015 के माध्यम से, ट्रांसमिशन लाइन की स्थापना हेतु "राईट-ऑफ-वे" के अंतर्गत-प्रभावित भूमि के उपयोग के मामले में देय मुआवजा के आंकलन करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जिसमें उनके द्वारा 132 के.व्ही. के स्थान पर 66 के.व्ही. या उससे अधिक क्षमता के पर निर्धारित की गई है, जो कि राज्य में निर्धारित दर से अधिक है।

3. अतः राज्य शासन के क्षतिपूर्ति दरों को भारत शासन के दरों के अनुरूप करने के प्रयोजन से राज्य शासन एतद् द्वारा विभागीय आदेश दिनांक 20.2.2015 के कण्डिका-4 को विलोपित कर उसके स्थान पर निम्नानुसार नवीन कण्डिका-4 प्रतिस्थापित करती है :-

4. उपरोक्त स्थिति पर शासन के द्वारा गंभीरतापूर्वक विचार किया गया । तदनुसार जनहित को ध्यान में रखकर शासन द्वारा प्रदेश में 66 के.व्ही. या उससे अधिक क्षमता के विद्युत टावर स्थापना तथा विद्युत पारेषण हेतु टावर लाइन बिछाने के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि के क्षतिपूर्ति के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

1. भूमि पर प्रवेश से हुई क्षति के लिए दी जाने वाली क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त भूमिस्वामी को टावर की स्थापना हेतु उपयोग में लाई गई भूमि के क्षेत्रफल के प्रचलित बाजार मूल्य का 85 प्रतिशत क्षतिपूर्ति दी जावेगी ।
2. विद्युत लाइन के नीचे टावर के दोनों ओर के बाहरी तारों के बीच की चौड़ाई में स्थित भूमि के क्षेत्रफल के बाजार मूल्य का 15 प्रतिशत क्षतिपूर्ति दी जायेगी । इस हेतु दोनों बाहरी तारों के बीच की चौड़ाई निम्नानुसार मानी जावेगी :-

स0क0	पारेषण क्षमता	दोनों बाहरी तारों के बीच की चौड़ाई (मीटर में)
1	66 के.व्ही.	18 मीटर
2	110 के.व्ही.	22 मीटर

D:\yaday\Leter doc

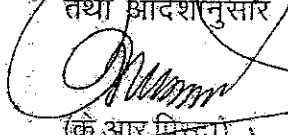


Notes
copy Circulate
to all R2
15th for
recd

3	132 के.व्ही.	27 मीटर
4	220 के.व्ही.	35 मीटर
5	400 के.व्ही.	46 मीटर
6	500 के.व्ही.	52 मीटर
7	765 के.व्ही.	64 मीटर
8	800 के.व्ही.	67 मीटर
9	1200 के.व्ही.	89 मीटर

- उपरोक्तानुसार दी जाने वाली राशि मात्र क्षतिपूर्ति होगी। भूमि पूर्ववत् भूमिस्वामी के नाम पर भूमिस्वामी हक में दर्ज रहेगी।
- किसी भी नियम में अन्यथा उपबंधित होने पर भी कृषि भूमि के लिये क्षतिपूर्ति कृषि भूमि के प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर तथा गैर कृषि भूमि की क्षति उसके लिये प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर देय होगी।
- यह क्षतिपूर्ति केवल विद्युत पारेषण लाईन के लिये देय होगी। इसके अंतर्गत विद्युत वितरण लाईन शामिल नहीं है।

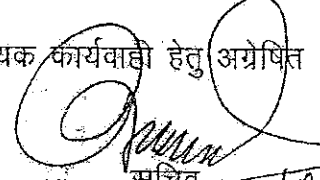
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(के.आर.मिस्दा)
सचिव 1/6/2016

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
रायपुर, दिनांक 01/06/2016

पू0कमांक एफ-7-7/सात-1/2014
प्रतिलिपि :-

- विशेष सहायक, मान0मंत्री जी.प्र.ग.शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय।
- प्रमुख सचिव, छ0ग0शासन, उर्जा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर को उनके पत्र कमांक 352/एफ 21/11/2015/13/2 दिनांक 9.2.2016 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- आयुक्त, रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/सरगुजा एवं बस्तर संभाग, छ0ग0
- आयुक्त, भू-अभिलेख, छ0ग0 रायपुर।
- समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

FORM - 1
(For Linear project)
Government of Chhattisgarh
Office of the District Collector Surajpur
To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

R.C.No. 3/B-121/16-17.

No.

Dated - 15.11.2016

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF) Government of India's letter No- 11-9/98 FC (pt.) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest right) act 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purpose read with MoEF's letter dated 5th February 2013 where in MoEF issued certain relaxation on respect of linear projects, it is certified that 19.907 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Chhattisgarh State Power Transmission Co. Ltd. for LILO of 132 KV. Bishrampur-Pratappur line from location no 31/0 to 132/33 KV Sub Station Wadrafnagar** in Surajpur District falls with in jurisdiction of **Podi, Darhora, Ghatpendari, Nawadhakki, Bhediya, Pahadkarwa, Dandkarwa, Rampur, Chachidand** villages of Pratappur tehsil.

It is further certified that:

- (a) The complete process for indentification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 19.907 hectares of forest land prosposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights Dommittee (s), Gram Sabha (s), Sub division level committee (s) and the District level committee are enclosed as annexure 01 to annexure 169.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA has been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognised rights of Primiitve Tribble Groups and Pre-agricultural Communities.

Encl: As above.

(G.R. Churendra)

COLLECTOR

DIST. - SURAJPUR

आदेशन संख्या का अधिकार स्थिति निम्न-सूरजपुर

/// बैठक की कार्यवाही विवरण ///

[illegible]

समूह का नाम	पंचायत का नाम	हल्का नं०	खसरा नं०	रकबा हे० में	विद्युत लाईन में प्रभावित रकबा	मद	FRA के तहत जारी अधि० की मान्यता
2	3	4	5	6	7	8	9
पांडी	सेमराखूर्द	16	214	0.09	0.04	राजस्व वन भूमि	निरंक
पांडी	सेमराखूर्द	16	212	0.13	0.08	राजस्व वन भूमि	निरंक
पांडी	सेमराखूर्द	16	50	0.08	0.01	राजस्व वन भूमि	निरंक
पांडी	सेमराखूर्द	16	83	0.42	0.04	राजस्व वन भूमि	निरंक
पांडी	सेमराखूर्द	16	82	0.19	0.03	राजस्व वन भूमि	निरंक
पांडी	सेमराखूर्द	16	73	0.42	0.08	राजस्व वन भूमि	निरंक
दरहोरा	दरहोरा	17	1411	0.55	0.08	राजस्व वन भूमि	निरंक
दरहोरा	दरहोरा	17	1426	0.61	0.09	राजस्व वन भूमि	निरंक
दरहोरा	दरहोरा	17	1427	1.2	0.09	राजस्व वन भूमि	निरंक
दरहोरा	दरहोरा	17	1428	1.37	0.1	राजस्व वन भूमि	निरंक
दरहोरा	दरहोरा	17	1430	0.35	0.02	राजस्व वन भूमि	निरंक
दरहोरा	दरहोरा	17	1603	0.24	0.02	राजस्व वन भूमि	निरंक
दरहोरा	दरहोरा	17	263	0.07	0.01	राजस्व वन भूमि	निरंक
दरहोरा	दरहोरा	17	255	1.19	0.06	राजस्व वन भूमि	निरंक

क्र.सं.	गांव	ख.सं.	अ.सं.	अ.सं.	अ.सं.	राजस्व वन भूमि	निरंक	
क्र.सं.	गांव	ख.सं.	अ.सं.	अ.सं.	अ.सं.	राजस्व वन भूमि	निरंक	
1	उठरी	8	104	3.24	0.16	राजस्व वन भूमि	निरंक	
2	उठरी	8	106	0.62	0.04	राजस्व वन भूमि	निरंक	
3	उठरी	8	108	0.61	0.04	राजस्व वन भूमि	निरंक	
4	उठरी	8	117	0.64	0.06	राजस्व वन भूमि	निरंक	
5	उठरी	8	161	0.66	0.05	राजस्व वन भूमि	निरंक	
6	उठरी	8	166	1.35	0.02	राजस्व वन भूमि	निरंक	
7	उठरी	8	181	2.74	0.09	राजस्व वन भूमि	निरंक	
8	उठरी	8	180	1.25	0.05	राजस्व वन भूमि	श्री भजन आ० मानसाय गोंड	
9	उठरी	8	179	4.03	0.26	राजस्व वन भूमि	श्री रामजीत आ० लहज गोंड	
10	उठरी	8	178	1.38	0.03	राजस्व वन भूमि	निरंक	
11	नवाधकी	पहाड़करवा	8	88	4.16	0.22	राजस्व वन भूमि	निरंक
12	नवाधकी	पहाड़करवा	8	94	0.28	0.05	राजस्व वन भूमि	निरंक
13	नवाधकी	पहाड़करवा	8	132	1.35	0.35	राजस्व वन भूमि	निरंक
14	नवाधकी	पहाड़करवा	8	133	0.6	0.02	राजस्व वन भूमि	निरंक
15	नवाधकी	पहाड़करवा	8	135	0.18	0.02	राजस्व वन भूमि	निरंक
16	नवाधकी	पहाड़करवा	8	145	0.34	0.08	राजस्व वन भूमि	निरंक
17	नवाधकी	पहाड़करवा	8	147	0.32	0.32	राजस्व वन भूमि	निरंक
18	नवाधकी	पहाड़करवा	8	177	3.32	0.14	राजस्व वन भूमि	निरंक
19	नवाधकी	पहाड़करवा	8	178	0.41	0.22	राजस्व वन भूमि	निरंक
20	नवाधकी	पहाड़करवा	8	192	1	0.07	राजस्व वन भूमि	निरंक
21	नवाधकी	पहाड़करवा	8	236	0.1	0.05	राजस्व वन भूमि	निरंक

क्र.सं.	पंचायत	स.सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	राजस्व (रु.)	व्यय (रु.)	व्यय/राजस्व	निरंक
1	पहाड़करवा	8	241	0.16	0.01	राजस्व वन भूमि	निरंक
2	पहाड़करवा	8	243	0.16	0.05	राजस्व वन भूमि	निरंक
3	पहाड़करवा	8	303	0.24	0.04	राजस्व वन भूमि	निरंक
4	भेड़िया	7	987	0.13	0.06	राजस्व वन भूमि	निरंक
5	भेड़िया	7	988	0.48	0.18	राजस्व वन भूमि	निरंक
6	भेड़िया	7	990	0.82	0.06	राजस्व वन भूमि	निरंक
7	भेड़िया	7	989	0.8	0.09	राजस्व वन भूमि	निरंक
8	भेड़िया	7	996	0.14	0.03	राजस्व वन भूमि	निरंक
9	भेड़िया	7	994	0.31	0.16	राजस्व वन भूमि	निरंक
10	भेड़िया	7	995	0.14	0.08	राजस्व वन भूमि	1) श्री अमरासो आ0 जगनारायण 2) श्री रामवृक्ष आ0 दर्शन
11	भेड़िया	7	1000	0.3	0.02	राजस्व वन भूमि	निरंक
12	भेड़िया	7	1014	0.18	0.05	राजस्व वन भूमि	निरंक
13	भेड़िया	7	1017	0.53	0.11	राजस्व वन भूमि	निरंक
14	भेड़िया	7	1021	0.53	0.28	राजस्व वन भूमि	निरंक
15	भेड़िया	7	1022	0.21	0.16	राजस्व वन भूमि	निरंक
16	भेड़िया	7	1028	0.07	0.01	राजस्व वन भूमि	निरंक
17	भेड़िया	7	1038	3.2	0.06	राजस्व वन भूमि	निरंक
18	भेड़िया	7	1031	0.06	0.05	राजस्व वन भूमि	निरंक
19	पहाड़करवा	8	147	1.05	0.3	राजस्व वन भूमि	निरंक
20	पहाड़करवा	8	188	5.16	0.34	राजस्व वन भूमि	निरंक
21	पहाड़करवा	8	244	0.92	0.06	राजस्व वन भूमि	श्री प्रेमसाय आ0 रामसुन्दनर
22	पहाड़करवा	8	245	0.73	0.24	राजस्व वन भूमि	निरंक

श्री रामबेलाल आठ देवरा
गोंड

सं.	सं.	सं.	सं.	सं.	सं.	सं.	सं.
सं.	सं.	सं.	सं.	सं.	सं.	सं.	सं.
1414	0.07	0.04	राजस्व वन भूमि	निरंक			
1415	0.27	0.05	राजस्व वन भूमि	निरंक			
1416	0.16	0.04	राजस्व वन भूमि	निरंक			
1417	0.21	0.04	राजस्व वन भूमि	निरंक			
1419	0.24	0.02	राजस्व वन भूमि	निरंक			
1423	0.25	0.03	राजस्व वन भूमि	निरंक			
1480	1.83	0.12	राजस्व वन भूमि	निरंक			
1487	0.09	0.01	राजस्व वन भूमि	निरंक			
1488	0.24	0.01	राजस्व वन भूमि	निरंक			
1500	0.55	0.09	राजस्व वन भूमि	निरंक			
1526	0.08	0.02	राजस्व वन भूमि	निरंक			
1747	0.78	0.12	राजस्व वन भूमि	निरंक			
1737	2.47	0.35	राजस्व वन भूमि	निरंक			
561	0.49	0.01	राजस्व वन भूमि	निरंक			
490	0.22	0.03	राजस्व वन भूमि	निरंक			
249	0.2	0.03	राजस्व वन भूमि	निरंक			
248.1	0.14	0.03	राजस्व वन भूमि	निरंक			
186	0.42	0.04	राजस्व वन भूमि	निरंक			
64	0.18	0.03	राजस्व वन भूमि	निरंक			
61	0.62	0.04	राजस्व वन भूमि	निरंक			
57	0.19	0.03	राजस्व वन भूमि	निरंक			
168	1.45	0.21	राजस्व वन भूमि	निरंक			

व
K
e

T
1
/

र
त्र

2

-A

वे
क्ष
नव

टर

क

क

धिव

र प

पदा

त अ

01

कृष

का

गोंग

क /

माण

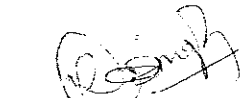
	अड	रामपुर	5	199	1.03	0.14	राजस्व वन भूमि	निरंक
	वॉचीडाड	रामपुर	5	284	2.35	0.05	राजस्व वन भूमि	निरंक
0	वॉचीडाड	रामपुर	5	286	0.91	0.07	राजस्व वन भूमि	निरंक
1	वॉचीडाड	रामपुर	5	308	1.33	0.04	राजस्व वन भूमि	निरंक
योग				77.01	8.360	हेक्टेयर		
संरक्षित वन भूमि					7.450	हेक्टेयर		
आरक्षित वन भूमि					4.097	हेक्टेयर		
महायोग					19.907	हेक्टेयर		

प्रस्तावित भूमि पर विचार करने हेतु आज दिनांक 07/11/2016 को उपखण्ड स्तरीय मिति की बैठक आयोजित कि गई जिसमें परीक्षण के उपरान्त यह पाया गया कि प्रस्तावित भूमि में वन धेकार अधिनियम के तहत पंक्ति क्र० 9 में उल्लेखित अनुसार (06हितग्राहियों) हितग्राहियों को व्यक्तिगत दावे मान्यता प्रमाण पत्र वितरित किया गया है। इसके अतिरिक्त उल्लेखित खसरो में मान्यता प्रमाण पत्र जारी रना शेष नहीं हैं।

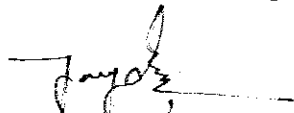
अतः उपरोक्त प्रस्तावित भूमि पर 132 केव्ही विद्युत लाईन निर्माण किये जाने हेतु खण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुशंशा कर जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित किये जाने का निर्णय या गया है।


अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन
अधिकार समिति प्रतापपुर


श्री राम कुमार

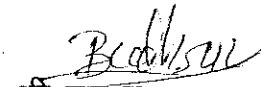
सदस्य, उपखण्ड स्तरीय वन
अधिकार समिति प्रतापपुर


मंडल संयोजक

उपखण्ड स्तरीय वन
अधिकार समिति प्रतापपुर


श्री संतोष सिंह

सदस्य, उपखण्ड स्तरीय वन
अधिकार समिति प्रतापपुर


श्री बुध साय

सदस्य, उपखण्ड स्तरीय वन
अधिकार समिति प्रतापपुर


उप मंडलाधिकारी
प्रतापपुर